

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-5) विभाग

क्रमांक : 15(5) / का / क-5 / 2018

जयपुर, दिनांक : 16/4/2018

परिपत्र

कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के तत्वाधान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के 25 बालक-25 बालिकाओं के लिए हेतु ग्रीष्मकालीन अवकाश में अनुभवी प्रशिक्षकों के माध्यम से एक 15 दिवसीय "सेल्फ डिफेंस" निःशुल्क कोचिंग कैम्प निम्न प्रकार से आयोजित किया जाना विचाराधीन है :-

क्र.स.	प्रशिक्षणार्थी की आयु	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण का समय	प्रशिक्षण का स्थान
1.	8 से 17 वर्ष	15 मई 2018 से 30 मई 2018	प्रातः 7.30 से 9.30 बजे तक	सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

उक्त कोचिंग कैम्प में भाग लेने के इच्छुक प्रशिक्षणार्थी अपने आवेदन पत्र खेल अधिकारी, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय के कमरा न. 7105, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर को दिनांक 5.05.2018 तक जमा करा सकते हैं।

बृज सुन्दर शर्मा
16-4-18
(बृज सुन्दर शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
5. समस्त निजी सचिव/निजी सहायक, अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, जयपुर।
7. निजी सहायक, संभागीय आयुक्त, जयपुर।
8. निजी सहायक, जिला कलेक्टर, जयपुर।
9. शासन सचिवालय, जयपुर के समस्त विभाग।
10. प्रतिलिपी ACP(Computer Cell), कार्मिक विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र एवं आवेदन पत्र को कार्मिक विभाग की वेबसाईट www.dop.rajasthan.gov.in पर News board पर Upload/display करने का श्रम करें।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-5) विभाग

आवेदन पत्र

ग्रीष्मकालीन "सेल्फ डिफेंस" कोचिंग कैम्प 2018

(अवधि दिनांक 15.05.2018 से 30.05.2018 तक)

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम :

2. जन्मतिथि :

3. लिंग : बालक/बालिका

4. पिता/माता/संरक्षक का नाम एवं पदनाम :

5. पिता/माता/संरक्षक के कार्यालय का पता :

(कार्यालय के आई.डी.कार्ड की प्रति संलग्न करें)

6. निवास स्थान का पूर्ण पता :

.....
.....

6. दूरभाष : (निवास)

(कार्यालय)

(मोबाईल न.)

प्रशिक्षणार्थी की फोटो
चिपकार्यें

हस्ताक्षर

(पिता/माता/संरक्षक)

नियम एवं शर्तें :-

1. सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण स्थल पर लाने व वहां से घर ले जाने की जिम्मेदारी प्रशिक्षु के पिता/माता/संरक्षक की होगी।
2. प्रशिक्षण निःशुल्क है तथा प्रशिक्षण समाप्ति पर प्रशिक्षक की सिफारिश पर प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
3. उक्त प्रशिक्षण हेतु कोई मानदेय आदि देय नहीं है।